

शर्तें :-

1. इस शर्त पत्र पर तैयार वाटर हार्डस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
2. इस शर्त पत्र पर भूखण्ड के अनुसार 22 पैदल लगाना होगा।
3. इस शर्त पत्र पर अभिलेख अधिकारी के पत्र दि० 16.07.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का सख्त-प्रतिबद्ध अनुपालन करना होगा।
4. शासनवादेश सं०-578/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनवादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
5. तैयार प्रोजेक्ट के सीटिंग बेसमेन्ट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छत भूतल के स्तर में होनी तथा उसमें मैकेनिकल वेंटीलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा सीटिंग आ स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होनी।
6. इस शर्त पत्र पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूखण्ड पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कराये नहीं किया जायेगा।
7. भवन में अविशेष सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
8. भवन में कोई स्थापित सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है जो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. इस शर्त पत्र पर प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित सड़क विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा।
10. इस शर्त पत्र पर भूखण्ड के अनुसार रेन वाटर हार्डस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
11. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन, अभिलेख तथा शासनवादेश के अनुसार में प्रमाण पत्र भू-स्वामित्व/बिल्डर/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
12. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
13. शासनवादेश संख्या 3338/आठ-1-11/80विधि/2010 दिनांक 26.09.11 के परिप्रेक्ष्य में विकासकर्ता को सख्त सार्वजनिक इन्टरनेशन के माध्यम से (E.W.S.L.I.G.) श्रेणी के भवनों को निर्माण की अनुमति देय है। इस शर्त पत्र के शासनवादेश में चिह्नित समस्त बिन्दुओं का एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शासनवादेश का उल्लंघन करने की दशा में अगर कोई विधिक कार्यवाही होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक की होगी।
14. स्ट्रक्चरल डिजाइन को आई.आई.टी. रुड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्देशित तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।
15. भवन के अनुवर्ती तल 9th Floor पर सेट बैंक में कमरों या फ्लैट्स से कोई पहुँच नहीं होगी।
16. अन्य समान विभाग की अनापत्ति वांछित है। उक्त आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति में वर्णित शर्तों का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से करना होगा।
17. इस शर्त पत्र आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी हो होगा अन्यथा को अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
18. बेसमेन्ट की प्रस्तावना जो बिल्डिंग लाईन से अधिक पर प्रस्तावित है, उसमें स्लैब प्रस्तावित, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।
19. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
20. इस शर्त पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।